

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—13/2021 (2021/36) वाद पत्र

अनवान

1. किशना पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंकुदेवी बेवा गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिठुलाल माता मांगीदेवी पिता शेषमल जाट नि. पीथाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जमना पुत्री गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दीपा पिता चैना जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर
6. लैण्ड हॉल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

अधिवक्ता वादीगण

दिनांक 12.11.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 29.07.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का टुंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की शामिलता खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 8 में अकिंत आराजी संख्या 206 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.97 है0 भूमि में वादीगण का 2/9 हिस्सा व शेष प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का एवं इसी प्रकार ग्राम किशोरपुरा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 4 की शामिलता कृषि आराजियात खाता संख्या 3 में अकिंत आराजी संख्या 168 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 169 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 170 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 171 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 172 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 173 रकबा 0.5 है0, आराजी संख्या 174 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 175 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 177 रकबा 0.31



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—13/2021 (2021/36) वाद पत्र

**अनवान**

1. किशना पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंकुदेवी बेवा गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिटुलाल माता मांगीदेवी पिता शेषमल जाट नि. पीथाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जमना पुत्री गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

**बनाम**

1. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दीपा पिता चैना जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर
6. लैण्ड हॉल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 171/2 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 172/2 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 173 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 174 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 175 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 177 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 178/1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 179/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.65 है0 भूमि कंकु पत्नि गोपी 5/22, किशन पिता गोपी 1/11, जमना पुत्री गोपी 5/22, मांगी पुत्री गोपी 5/22, शान्तिलाल पिता गोपी 5/22 जाट सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 178/2 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 179/2 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि देवीलाल पिता हजारी जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 168 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 169 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 170 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 171/1 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 172/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.88 है0 भूमि दीपा पिता चेना 1/2, बालु पिता हजारी 1/2 जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा हिस्सा बालु पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*(Signature)*  
12.11.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा) अधिकारी  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा